केदार बनाम सीताराम
मु०- (वाद- 2021/105)

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने प्रकरण के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क पेश किये कि ग्राम गुदड़िया तहसील लालसोट स्थित भूमि ख.नं. 146 रकबा 3 बिस्वा, ख.नं. 147 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा वादीगण की खा. खातेदारी की कृषि भूमि है जिस पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण ने अपनी कृषि भूमि के चारो ओर वर्षो पुरानी खाळ ढोल लगा रखी है तथा फसल की सुरक्षा हेतु तारबन्दी कर रखी है। प्रतिवादी संख्या एक का वादीगण की आराजीयात से कोई सरोकार वास्ता नही है फिर भी प्रतिवादी संख्या एक वादीगण की फसल को नुकसान पहुंचाने पर आमदा है। दिनांक 31.08.2020 को वादीगण आराजी वादग्रस्त मे खरीफ फसल की निनाणी कर रहे थे तभी अचानक प्रतिवादी संख्या 1 मय परिवार जन के आराजी वादग्रस्त पर आ गये तथा तारबन्दी व पुरानी ढोल इत्यादि को तोड़कर नुकसान पहुंचा कर वादग्रस्त आराजी के बीच मे होकर नया रास्ता निकालने पर आमदा हो गये प्रतिवादी व उसके साथ आये लोगो ने धमकी दी है कि वादग्रस्त आराजी मे खड़ी फसल को नुकसान करते हुए नया रास्ता निकालकर रहेंगे तथा वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर देंगे। इसी बिनाय पर दावा पेश कर प्रतिवादी संख्या एक को वादग्रस्त आराजी पर वादीगण के कब्जे काश्त व नया रास्ता निकालने बाबत पाबन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	- केदार बनाम सीताराम - हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (मु०-वाद-2021/105)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करवाने का निवेदन किया है। वकील वादी ने प्रदर्श संख्या-1 के रूप में जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 ग्राम गुढ़लिया, तलावगांव को प्रदर्शित करवाया है। हमने वकील वादी की बहस पर गौर फरमाया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से वकील वादी के इस कथन की पुष्टि होती है कि ग्राम गुढ़लिया स्थित आराजी खसरा नम्बर 148, 149 से प्रतिवादी संख्या एक का प्रथक हिस्सा कोई रास्ता नहीं है। उक्त आराजीयात के वादीगण अभिलेखित खातेदार है। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या एक को वादीगण के कब्जे काश्त में दखल देने, नया रास्ता न निकालने व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने पाबन्द करवाने का अनुतोष चाहा है। मेरी विनम्र राय में किसी भी काश्तकार को रास्ते के अनुतोष के सम्बन्ध में राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं में उपचार दिया है, के अनुरूप रिलीफ प्राप्त करनी चाहिए। प्रतिवादी सं० 2 तहसीलदार को पाबन्द करने का कोई तथ्य प्रकट नहीं किया है। वकील वादी ने वादीग० के कब्जे काश्त में निरन्तर दखल किये जाने के तर्क पेश किये हैं। प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नहीं करने के कारण वादीगण	

केदार बनाम रतीराम,
वाद- 2021/105

के तथ्यो एवम् वकील वादी के तर्को का खण्डन नहीं हो सका है। ऐसी सूरत में वादीगण का वाद स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि पक्षकारों को सुनकर गुणावगुण पर विचार उपरान्त मेरिट पर निर्णय किया जाना चाहिये। प्रस्तुत मामले में प्रतिवादी द्वारा जवाब ही पेश नहीं किया है। जवाब का अवसर बंद किया जाकर विधि के अनुसरण में प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है, जो न्यायोचित है। संलग्न प्रमाणों के अवलोकन से वादीगण वादग्रस्त आराजीयात के अभिलिखित खातेदार सिद्ध है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या एक को वादीगण के कब्जे काश्त में दखल देने बाबत पाबन्द किया जाना उचित है।

अतः वादीगण का वाद विधि के प्रावधानों के सम्यक् पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर आराजी ख.नं. 146, 149 मौजे ग्राम गुढ़ाकिया, तहसील - लालसोट जिला-दौसा स्थित कृषि भूमि पर वादीगण के कब्जे - काश्त में दखल देने हेतु प्रतिवादी संख्या एक को पाबन्द किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर उभय-पक्षों की गैरहाजरी में ~~खुले~~ इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी से कक्ष दो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)